31/7/25 वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं, पत्रावली दिनांक 18/9/25 को पेश हो।

18/9/25 पत्रावली पेश्की के लिए अधिवक्ता आवेदी हाजिर। अभार्थी को सूचना जारी कर वादि-डाक से कराई गई। अभार्थी ए 1-2 ने वादि-डाक को लेने से इन्कार किया। न्यायालय द्वारा कार्य-क्रम के अभार्थी ए. 1-2 के आवाजें लगाई गई। अभार्थी स्वयं व उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता हाजिर नहीं। अतः इस सूरत में अभार्थी ए 1-2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अभार्थीगण के हाजिर नहीं आने पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। अन्तर विवादित भूमि पर ओआरबी.ए. की धा. 18 की कुल 3.9195 है. संयुक्त जाती है। अभार्थीगण के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रमाण व कुछ सबूत भी पेश नहीं किया व न्यायालय में हाजिर नहीं होते हुए एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है अतः प्रकरण में जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 16/7/25 को मूल वाद के निष्कर्ष तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय पृथक न्यायालय से सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:29:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner